

Comparative study of financial resources of Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक तथा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय संसाधनों का तुलनात्मक अध्ययन

Vinod Sharma

Research Scholar, Bhupal Nobles University, Udaipur

Abstract

Presently the share capital of Rajasthan Marudhara Gramin Bank is 20,00,000 lakhs and the regular and paid-up capital is Rs 18193 lakhs, which is 50: 35: 15 by the Government of India, State Bank of India (Sponsor Bank) and State Government (Government of Rajasthan) respectively. proportionate to. At the end of the current 2017-2018, the reserves and balance stood at Rs.47994.77 lakh. There has also been a substantial increase in the number of deposits and accounts of current account, savings account and periodic account from the year 2012 to 2018. Priority was given to availing low-cost refinance by the bank over the years. Proper management of cash and funds is the key to the profitability of the bank. Therefore, the bank has ensured that the cash balance of the fund is maintained. There has also been a steady increase in the minimum balance balance, deposit balance with other banks, average cash balance and average deposit percentage in different years. Marudhara Gramin Bank also has cash balance with Reserve Bank of India, Sponsor Bank and other banks. There has also been a steady increase in the investment amount of the bank from the year 2012 to 2018. The bank has its own investment policy, which is prepared in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India and NABARD and the sponsor bank from time to time. SLR by the bank as per the guidelines of Reserve Bank of India/NABARD. and non SLR There has been a steady increase in investment in securities.

Keywords: Cash, NABARD, Appropriation, Investment

Abstract in Hindi

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की वर्तमान में अंश पूंजी 20,00,000 लाख है तथा नियमित व प्रदत्त पूंजी 18193 लाख रुपये है, जो भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (प्रायोजक बैंक) एवं राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा क्रमश 50 : 35 : 15 के अनुपात में अभिदत्त है। वर्तमान 2017-2018 के अन्त में आरक्षितियों व अधिशेष रुपये 47994.77 लाख रही। वर्ष 2012 से 2018 तक चालू खाता, बचत खाता व आवधिक खाता की जमाओं व खातों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। विभिन्न वर्षों में बैंक द्वारा कम लागत के पुनर्वित्त प्राप्त करने को प्राथमिकता प्रदान की गई। नकदी एवं निधि का उचित प्रबंधन बैंक की लाभदायकता की कुंजी है। अतः बैंक ने निधि के नकद शेष रखा जाता सुनिश्चित किया गया। विभिन्न वर्षों में न्यूनतम शेष हस्त, अन्य बैंकों के साथ जमा शेष, औसत नकद शेष तथा औसत जमा प्रतिशत में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। मरुधरा ग्रामीण बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, प्रायोजक बैंक व अन्य बैंकों के साथ भी नकद शेष है। वर्ष 2012 से 2018 तक बैंक के विनियोग राशि में भी राशि में भी निरन्तर वृद्धि हुई है बैंक की अपनी निवेश नीति बनी हुई है जो भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशों तथा नाबार्ड एवं प्रायोजक बैंक द्वारा समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार करता है। बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा निर्देशानुसार एस.एल.आर. और गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियों में निवेश में निरन्तर वृद्धि हुई है।

Keywords: नकद, नाबार्ड, विनियोग, निवेश

Article Publication

Published Online: 20-Feb-2022

*Author's Correspondence

Vinod Sharma

Research Scholar, Bhupal Nobles University, Udaipur

vinodsharma.205@gmail.com

doi 10.53573/rhimj.2022.v09i02.005

© 2022 The Authors. Published by RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal. This is an open access article under the CC BY-

NC-ND license 

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

परिचय

किसी संस्था के प्रारम्भ से लेकर उसके प्रवर्तन, विस्तार और समापन तक सभी परिस्थितियों में वित्त की आवश्यकता होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मानव को जीवित रखने के लिये उसके शरीर में रक्त संचार आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय या उद्योग को चलाने के लिये वित्त की आवश्यकता होती है।

प्रो० मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ तन्त्र चक्कर लगाता है। वास्तव में वित्त अगर अपर्याप्त हो तो व्यवसाय की असफलता का कारण बनता ही है साथ ही वित्त का अप्रभावी प्रबन्ध भी इसके लिए उत्तरदायी होता है।

किसी संस्था का जीवित रहना तथा विकास करना केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास पर्याप्त वित्त साधन हो बल्कि यह भी कि वह उपलब्ध वित्त साधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। अतः यह कहना उचित होगा कि “बिना पर्याप्त वित्त कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता तथा बिना प्रभावपूर्ण वित्त प्रबन्धन के कोई व्यवसाय समृद्ध एवं विकसित नहीं हो सकता” वित्तीय प्रबन्ध संस्था के वित्तीय ढांचे को बनाये रखता है। अतः संस्था के लिये वित्त के स्रोत व वित्त का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उनके आधार पर ही संस्था अपनी भावी नीतियाँ, नियोजन व नियन्त्रण को प्रभावी कर सकती है। अतः वित्त के स्रोत व उपयोग का अध्ययन आवश्यक है।

वित्त के स्रोत :-

बैंक मुद्रा के व्यवसायी एव वित्तीय मध्यस्थ होने के कारण अपने क्षरा कई स्रोतों से धन जुटाते हैं। ये धन कोष अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है :-

- निजी कोष (स्वयं के कोष)
- बाह्य कोष (अन्यत्र से प्राप्त)

बैंको के निजी कोषों में उन कोषों का समावेश किया जाता है जो बैंक अपने ही साधनों जैसे अंश, पूँजी, रक्षित कोष, लाभ-हानि, खाते में शेष अथवा सम्भावित हानियों तथा गुप्त कोषों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। निजी कोषों से प्राप्त राशि अपेक्षाकृत कम होती है।

इनमें निम्न कोष सम्मिलित किये जाते हैं :-

- अंश पूँजी (Share Capital)
- रक्षित कोष (Reserve Fund)
- लाभ हानि खाते को शेष (Balance of P&L Account)
- संभाव्य हानि पूर्ति कोष (Expected Loss Supply Fund)

अंश पूँजी (Share Capital) :-

अंश पूँजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में या व्यापारिक बैंकों में निजी कोषों का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रारम्भ में बैंक की अंश पूँजी एक करोड़ रुपये निश्चित की गई थी, जिसमें से चुकता पूँजी 25 लाख है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूँजी 100 रुपये वाले 1 लाख अंशों में विभक्त थी, जिसमें से केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार तथा 35 प्रतिशत प्रायोजित व्यापारिक बैंक द्वारा विनियोजित किया गया। केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण के विधान में 1988 में संशोधन कर अधिकृत पूँजी 5 करोड़ कर दी गई जो 100 रुपये वाले 5 लाख अंशों में विभाजित है तथा इनको प्रदत्त पूँजी को 25 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाने की छूट प्रदान की गई।

किसी संस्थान की अंश पूँजी निम्न से मिलकर बनती है।

अधिकृत पूँजी :-

यह पूँजी की अधिकतम राशि होती है। जिसको निर्गमन करने का अधिकार संस्थान के पास होता है। इससे अधिक राशि का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। इसे एकीकृत पंजीकृत पूँजी कहा जाता है।

साहित्य का अध्ययन :

Dr M.Syed Irahim 2016 ने ग्रामीण बैंको की ग्रामीण ऋण संरचना एवम् उनके विकास का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंको में सुधार हुए हैं इन्होंने ग्रामीण साख संरचना को दो भागों में बाँटते हुए। प्राथमिक क्षेत्र और गैर प्राथमिक क्षेत्र में गहन विश्लेषण किया है तथा यह पाया गया की प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रतिशत में उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। गैर कृषि गतिविधियों की तुलना में कृषिगत ऋण ज्यादा दर्ज किये गये हैं।

Ritu Rathor, Shuham Mishra & Pardeep Kumar 2017 ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की जोबनेर साखा में कुषि ऋण की पुनर्भुगतान को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच की है सुविधा अनुसार प्रतिवर्ष के आधार से 50 कमविसजमत उधारकर्ता एवम् बैंक कर्मचारियों को चयन किया गया ताकि अतिदेय के पिछे वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त हो सके वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करते हुये यह पाया गया की ऋण, उच्च जीवन व्यय सामाजिक और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर खर्च की बड़ी राशि उच्च ब्याजदर, कुषि उपज की कमी अप्रत्याशित किमतों से उत्पन्न न्यून कृषि आय आदि कारणों से पुनर्भुगतान में देरी हुयी है।

Dr. Satish Kumar, Vibhor goyal & Poonam Sharma 2017 ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा यह पाया गया कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में स्थापना की अवधि से काफी सुधार किये हैं। समामेलन प्रक्रिया के बाद भारत सरकार द्वारा त्त् के वित्तीय प्रदर्शन के सुधार के लिए कदम उठाये गये थे जैसे त्त् के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

B.Venkata Rao & Dr G Sundarsana Rao 2014 ने अपने अध्ययन में बताया था कि भारत शहरी सेक्टर कि तुलना में प्राथमिक कृषि आधारित और ग्रामीण घनत्व वाला देश है जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ ग्रामीण अनुकूल निविदा की आवश्यकता है। त्त् सभी क्षेत्रों में ग्रामीण वह जरूरतमन्द कृषि गरीब लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यह उन्होंने अपने अध्ययन में पाया आन्ध्रप्रदेश में गरीब किसानों की सेवा के लिए आन्ध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक बढ़ते बैंकों में से एक है। इन बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में अपने शाखाओं का विस्तार करके किसानों की वित्तीय दुरदर्शा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Anil Kumar Soni & Abhay Kapre 2012 इस षोध पेपर में ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादन संपत्ति, ऋण वसूली, अतिदेय जैसी समस्या का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए अवधि 2006-2007 से 2010-2011 तक रखी गई है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिचालन दक्षता का विभिन्न माप
 - जमा
 - उधार
 - लाभदायिकता
 - वापसी तथा अतिदेय के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का समामेलन से पूर्व तथा बाद में परिचालन दक्षता का विश्लेषण।
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की परिचालन, दक्षता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन।

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की विभिन्न वर्षों में आरक्षितियाँ एवं अधिशेष

क्र.सं.	वर्ष	आरक्षितियाँ/अधिशेष (लाख में)
1.	2013-14	76520.28
2.	2014-15	40707.67
3.	2015-16	30582.66
4.	2016-17	42494.06
5.	2017-18	47994.77

Source: annual report of RMGB

कोष प्रवाह का अर्थ

कोष का संबंध कार्यशील पूँजी से है। अतः कोष प्रवाह का अर्थ भी कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से लगाया जाता है। किसी उपक्रम के वित्तीय कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों का विवरण ही कोष प्रवाह विवरण कहा जाता है। उपलब्ध वित्तीय साधनों को कहाँ से प्राप्त किया गया तथा कहाँ इनका प्रयोग किया गया।

बैंकों के लाभकारी निवेशों को दो भागों में बाँटा जा सकता है :-

1. अल्पकालीन निवेश

इनकी विनियोग अवधि अल्प होती है। सामान्यतः यह विनियोग अधिकतम 1 वर्ष के लिये किया जाता है। इसमें

1. याचना राशि अर्थात् 1 या 2 दिन के लिये एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिये जाते हैं।
2. व्यापारिक बिलों की क्रय कटौती

3. कोषागार विपत्र आदि उपकरणों के अल्पकालीन निवेश हेतु उपयोग किया जाता है।

2. दीर्घकालीन निवेश (Long Term Investment) :-

बैंक के दीर्घकालीन निवेशों की अवधि 5 से 20 वर्ष तक हो सकती है। इसके अन्तर्गत सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिभूतियों का समावेश होता है।

सुझाव

1. निर्धन व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्राहकों से जमानत राशि नहीं लेनी चाहिए।
2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।
3. ऋण प्रक्रिया में बैंकों, कर्मचारियों, सहकारी संस्थाएँ व निगम द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जाना चाहिए।
4. मरुधरा ग्रामीण बैंकों में शाखा प्रबन्धकों को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं अतः ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धकों को ऋण स्वीकृत करने के पूरे अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
5. मरुधरा ग्रामीण बैंकों द्वारा अपनी योजनाओं का सतत् मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
6. ऋण चाहने वाले व्यक्तियों को मरुधरा ग्रामीण बैंक ऋण की राशि 3 व 4 किशतों में भुगतान करता है। अतः बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि को एक मुश्त भुगतान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- गुप्ता, वशिष्ठ, शर्मा – भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था (आर.बी.डी. पब्लिकेशिंग हाउस जयपुर (2014–2015)
- शर्मा एम.एल. – फाईनेंशियल एप्पायल ऑफ इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया – 1986
- लोढ़ा, एस.एल. – अर्थशास्त्र शब्दकोष, दिपाली प्रकाशन अजमेर (2007)
- बरला, सी.एस. – अर्थशास्त्र शब्दकोष जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर (2004)
- हैण्ड बुक फोर डायरेक्टर्स ऑफ रिजनल रुरल बैंक (आर.बी.आई.)
- सारस्वत लोढ़ा, शर्मा, गोधा – 'व्यावसायिक अर्थशास्त्र' अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर, 2010
- सामोरिया चतुर्भुज, जैन एस.सी. – 'भारतीय अर्थशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा–2008
- शर्मा एस.जी., जैन आर.के., पारीक जी.– 'शोध प्रविधियां एवं सांख्यिकीय तकनीकें' रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2003
- दि एडवांस्ड लर्नर्स डिक्सनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड, 1952
- गुड्डे एवं हॉट – 'मैथड ऑफ सोशल रिसर्च' मेकग्रा हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1972